

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड भवन (पट्टा किराया एवं निष्कासन)
नियंत्रण, (संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण, (संशोधन) विधेयक-2016
[सभा द्वारा यथापारित]

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-
 - (i) यह अधिनियम "झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण, (संशोधन) अधिनियम-2016" कहा जायेगा।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (iii) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 08, 2012) के अध्याय-9 की धारा-47 की उपधारा-(1) का संशोधन :-
 - (i) झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा-47 की उपधारा-(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

झारखण्ड मकान (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 2000, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

झारखण्ड नकल (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण, (संशोधन) विधेयक-2016

यह विधेयक झारखण्ड भवन (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण, (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 28 जुलाई, 2016 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 28 जुलाई, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं शुरुआत :-

(a) यह अधिनियम "झारखण्ड नकल (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण, (संशोधन) अधिनियम-2016" कहा जाएगा।

(b) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(c) यह तुरन्त प्रभाव में प्रवृत्त होगा।

(दिनेश उराँव)

अध्यक्ष ।

2. झारखण्ड नकल (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम-28, 2011) के अन्वय-8 की धारा-47 की उपधारा-(1) का संशोधन :-

(a) झारखण्ड नकल (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा-47 की उपधारा-(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :-

झारखण्ड नकल (पट्टा, किराया एवं निष्कासन) नियंत्रण अधिनियम, 2011 इससे द्वारा निरस्त किया जाता है।